



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 671]
No. 671]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 28, 2012/पौष 7, 1934
NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 28, 2012/PAUSA 7, 1934

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 दिसम्बर, 2012

सा.का.नि. 940(अ).—भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 4 के उप-नियम (2) के साथ पठित अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार हिमाचल प्रदेश सरकार के परामर्श से भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियमावली, 1955 में आगे और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित विनियमों को बनाती है, अर्थात् :-

- (1) इन विनियमों का नाम भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) तृतीय संशोधन विनियमावली, 2012 होगा ।
 - (2) ये विनियम शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
2. भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियमावली, 1955 की अनुसूची में “हिमाचल प्रदेश” शीर्षक के नीचे आने वाली प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“हिमाचल प्रदेश

राज्य सरकार के अधीन वरिष्ठ इयूटी पद	80	तैनाती की न्यूनतम अवधि
मुख्य सचिव	1	
अपर मुख्य सचिव	1	2

प्रधान सचिव	7	2
वित्तीय आयुक्त (अपील)	1	2
वित्तीय आयुक्त सह-प्रधान सचिव (राजस्व)	1	2
प्रधान अवास आयुक्त, नई दिल्ली	1	2
मण्डलायुक्त	3	2
सरकार के सचिव	10	2
सचिव (लोकायुक्त)	1	2
मुख्य निर्वाचन अधिकारी-सह-सचिव (चयन)	1	2
निदेशक, उद्योग	1	2
उत्पाद-शुल्क और कराधान आयुक्त	1	2
पंजीयक, सहकारी समितियां	1	2
निदेशक, पर्यटन और नागर विमानन	1	2
निदेशक, सतर्कता	1	2
सरकार के सचिव, एचपी	1	2
सचिव/विशेष सचिव/अपर सचिव/संयुक्त सचिव	12	2
सचिव, लोक सेवा आयोग	1	2
निदेशक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति और सीए	1	2
निदेशक, ग्रामीण विकास ओर पीआर	1	2
श्रम आयुक्त-सह-निदेशक रोजगार और प्रशि.	1	2
निदेशक, परिवहन	1	2
बंदोबस्त अधिकारी	2	2
उपायुक्त	12	2
आयुक्त, विभागीय पूछताछ	1	2
अपर उपायुक्त	5	2
अपर निदेशक, उद्योग	1	2
निदेशक, भूमि रिकॉर्ड्स	1	2
निदेशक, शहरी विकास	1	2
निदेशक, आईटी	1	2
निदेशक, अनु0जा0, अ0पि0व0 और अल्पसंख्यक मामले, एचपी	1	2
निदेशक, ऊर्जा, एचपी	1	2
निदेशक, महिला ओर बाल कल्याण विकास, एचपी	1	2
निदेशक, नगर ओर देश योजना, एचपी	1	2
निदेशक, सार्वजनिक वित्त ओर सार्वजनिक उपक्रम	1	2
निदेशक, एचआईपीए	1	2

1.	कुल वरिष्ठ इयूटी पद	80
2.	सीडीआर उपर्युक्त मद 1 का 40 प्रतिशत से अधिक नहीं	32
3.	एसडीआर उपर्युक्त मद 1 का 25 प्रतिशत से अधिक नहीं	20
4.	टीआर उपर्युक्त मद 1 का 3.5 प्रतिशत से अधिक नहीं	02
5.	एलआर और कनिष्ठ पद रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 16.5 प्रतिशत की दर से	13
6.	भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 8 के अधीन पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पद उपर्युक्त मद 1,2,3 और 4 के 33.3 प्रतिशत से अधिक नहीं	44
7.	सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद (मद 1+2+3+4+5-6)	103
	कुल प्राधिकृत पद संख्या	147

[सं. 11031/3/2012-अ.भा.से.-II(क)]

नवनीत मिश्रा, अवर सचिव

टिप्पणी 1 : इस अधिसूचना के जारी होने से पूर्व, हिमाचल प्रदेश भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग की कुल प्राधिकृत पद संख्या 129 थी ।

टिप्पणी 2 : मुख्य विनियम दिनांक 22 अक्टूबर 1955 की एस आर ओ सं. 3350 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे । तत्पश्चात्, ये हिमाचल प्रदेश संवर्ग के संबंध में निम्नलिखित सा.का.नि.संख्याओं तथा तिथियों द्वारा संशोधित किए गए :

क्र.सं.	सा.का.नि.सं.	तारीख	क्र.सं.	सा.का.नि. सं.	तारीख
1	457(अ)	22.08.1975	13	190	26.03.1988
2	788(अ)	07.09.1976	14	732	07.10.1993
3	940	23.07.1977	15	597(अ)	08.09.1993
4	289(अ)	05.06.1980	16	319(अ)	31.03.1995
5	951	20.09.1980	17	234	08.06.1996
6	528	06.06.1981	18	739	31.12.1997
7	944	24.10.1981	19	206(अ)	15.03.1999
8	27	09.01.1982	20	391(अ)	23.05.2007
9	917(अ)	24.12.1983	21	438(अ)	18.06.2007
10	638	06.07.1985	22	188(अ)	24.03.2009
11	51	23.01.1988			
12	873	12.11.1988			